लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Proj/147/19/1081 दिनांक : 10.02.2020

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार ।

विषय: **प्रखंड/जिला स्तर पर IEC, CB एवं Admin मद में वित्तीय प्रबंधन के नियमों के विपरीत व्यय किए जाने के सबंध में ।**

प्रसंग: **इस कार्यालय का कार्यालय आदेश संबंधी पत्रांक BRLPS/Actt/423/16/3106 दिनांक 19.10.2016.**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यालय आदेश संख्या 68/सी० दिनांक 05.08.2016 एवं पत्रांक 3106 दिनांक 19.10.2016 के माध्यम से प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रावधान एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त की गयी है । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत विभिन्न मदों यथा Admin, IEC में जिला स्तर पर अधिकतम व्यय की सीमा (3.75% तक) निर्धारित की गयी है । साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गनिदेशिका के कंडिका 5:2:11, 5:3:2, 5:3:3 एवं 5:11 के आलोक में मदवार निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा एवं Prohibited items under administrative expense (5:11:6) के आलोक में IEC एवं Admin मद पर व्यय किया जाना है । परन्तु AG के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विश्लेषण के उपरांत यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों का संधारण, वित्तीय नियमावली का अनुपालन, मार्गनिदेशिका का अनुपालन एवं उसका प्रस्तुतीकरण ससमय एवं यथोचित तरीके से नहीं कया जा रहा है । साथ ही, IEC, CB एवं Admin मद में किये गये कार्यों से संबंधित सत्यापन, अनुमोदन एवं अनुश्रवण भी नियमित रूप से जिला स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है ।

उपर्युक्त के आलोक में IEC, CB एवं Admin मद में प्रखंड एवं जिला स्तर पर किये गए खर्च के भुगतान की प्रक्रिया के क्रम में राज्य स्तर से रोक लगायी गयी है, जिसकी विवरणी संलग्न है । संलग्न विवरणी के आलोक में **पत्र निर्गत तिथि से सात दिनों के अन्दर आप अपने स्तर से जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन से राज्य कार्यालय को अवगत करायें** ताकि नियमानसुार संबंधित भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके एवं किसी व्यक्ति/सेवा प्रदाता को अनावश्यक परेशानी न हो ।

57

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के आलोक में संबंधित प्रखंडों एवं जिला स्तर पर किये गये व्यय का जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन से राज्य कार्यालय को अवगत करायें एवं प्रखंड एवं जिला स्तर पर वित्तीय नियमावली का अनुपालन, दस्तावेजीकरण, सत्यापन एवं अनुश्रवण तथा IEC अंतर्गत किये गये कार्यों का समय-समय पर impact assessment किये जाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को निरस्त किया जा सके ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : विवरणी संलग्न ।

10/02/2020

(बालामुरूगन डी०)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/147/19/1081 **दिनांक :** 10.02.2020

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव/उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

10/02/2020

(बालामुरूगन डी०)